भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल – 02
Phone: 0755-2661263,2737446 **Fax:** 2661263
Website:bsgmp.net **E_mail:** bsgmadhyapradesh@gmail.com

क्र0/165-B/स्था.–का.अ./रा0मु0/2018 भोपाल, दिनांक 06.04.2018

प्रतिष्ठा में,

श्रीमती/सुश्री/श्रीमान...

....

....

विषय :– दिनांक 08 मार्च–2018 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण।

–––000–––

माननीय,

उपरोक्त विषयांतर्गत दिनांक **08 मार्च–2018** को भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय, भोपाल में आयोजित **राज्य कार्यकारिणी** की बैठक का कार्यवाही विवरण आपकी ओर सादर प्रेषित ।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.

दिनांक 08 मार्च 2018 को आयोजित राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र. **राज्य कार्यकारिणी** की बैठक दिनांक **08 मार्च 2018** को दिन **गुरूवार, दोपहर 03:00** बजे **राज्य मुख्यालय, भोपाल** के सभागृह में **माननीय श्री पारसचंद्र जैन, मंत्री ऊर्जा म.प्र.शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त**, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	पद
01	श्री पारस चंद्र जैन	राज्य मुख्य आयुक्त
02	श्री डी.एस.राघव	राज्य आयुक्त–स्काउट
03	श्रीमती सरोज चौकसे	राज्य आयुक्त–गाइड
04	डॉ बलवान सिंह	राज्य कोषाध्यक्ष
05.	श्री आलोक खरे	राज्य सचिव
06	श्री अंबाराम कराड़े	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
07.	श्री राजीव जैन	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
08.	श्री राकेश डागोर	सहायक राज्य आयुक्त–स्काउट
09.	श्रीमती डेजी रानी जैन	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड
10.	श्रीमती गीता झा	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड
11.	सुश्री ज्योत्सना गुर्जर	सहायक राज्य आयुक्त–गाइड
12.	श्री प्रकाश दिसोरिया	राज्य संगठन आयुक्त–स्काउट
13.	श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय	राज्य संगठन आयुक्त–गाइड
14.	श्री बी.एल.शर्मा	राज्य प्रशिक्षण आयुक्त–स्काउट
15.	श्रीमती कमलेश शर्मा	हेडक्वार्टर कमिश्नर–गाइड
16.	श्रीमती आबिदा रजा	जिला कमिश्नर–गाइड
17.	श्री भंवर शर्मा	साधारण सदस्य प्रतिनिधि
18.	श्री आर.के.तिवारी	लीडर ट्रेनर(स्काउट) प्रतिनिधि
19.	श्री गिर्राज सिंह यादव	सहयोजित सदस्य

<u>विशेष आमंत्रित सदस्य</u>

01	श्री एम.एस.राठौर	सलाहकार–रा.मु.आ.
02	श्री विजय आंबेकर	एल.टी.–स्काउट
03	श्री जी.आर.गारगे	लेखाधिकारी
04	श्री डी.पी. मिश्रा	सहायक सचिव
05.	श्री तरूण अग्रवाल	जिला मुख्य आयुक्त–शिवपुरी
06.	श्री रमेश चंद्र शर्मा	जिला मुख्य आयुक्त–उज्जैन
07.	श्री विजेन्द्र सिंह जादौन	जिला मुख्य आयुक्त–ग्वालियर
08.	श्री पंकज पाण्डे	जिला मुख्य आयुक्त–रीवा
09.	श्री सुनील कुमार जैन	जिला मुख्य आयुक्त–नीमच
10.	श्री अशोक यादव	जिला मुख्य आयुक्त–मुरैना
11.	श्री शिवांशु कुमार सिंह	जिला मुख्य आयुक्त–भिण्ड
12.	श्री करण सिंह यादव	जिला मुख्य आयुक्त–आगर

श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा दी गई गणपूर्ति (कोरम) की सूचना के पश्चात ईश प्रार्थना के साथ बैठक प्रारंभ हुई। राज्य सचिव द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त –स्काउट, श्रीमती चंद्रकांता उपाध्याय, राज्य संगठन आयुक्त–गाइड व अन्य मुख्यालयीन अधिकारियों द्वारा राज्य मुख्य आयुक्त एवं उपस्थित वरिष्ट पदाधिकारियों का राज्य मुख्य आयुक्त के सुझाव अनुसार स्काउटिंग में मितव्यता का ध्यान रखते हुए पुष्प से स्वागत किया गया ।

राज्य सचिव के अनुरोध पर बैठक में पधारे नव नियुक्त जिला मुख्य आयुक्त सहित उपस्थित सम्मानीय सदस्यों ने अपना परिचय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

बिन्दु क्र.-01 - गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं गत बैठक दिनांक 17 जुलाई 2017 के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा एंव अनुमोदन—

दिनांक 17 **जुलाई – 2017** को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवाही विवरण राज्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि यह पूर्व में सभी माननीय सदस्यों को डाक से भेजा गया है एवं संस्था की वेबसाईट पर अपलोड किया गया है । राज्य सचिव ने सदन से पुष्टि चाही गई ।

सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

दिनांक 17 जुलाई – 2017 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पालन प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा हुई।

राज्य सचिव ने विगत बैठक के पालन प्रतिवेदन के बिंदुओं पर कृत कार्यवाही से अवगत कराते हुए कहा कि माननीय श्री थावरचंद्र गेहलोत, सांसद (लोकसभा) को **"धन्यवाद बैज"** प्रदान करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय मुख्यालय को भेजा गया है तथा **"सिंहस्थ–2016"** से सम्बन्धित सेवादार, संस्था के सहयोगियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राज्य स्तरीय राज्यपाल रैली में सम्मानित किया जावेगा। राज्यपाल रैली आयोजन हेतु माननीया राज्यपाल महोदया ने 09.04.2018 की तिथि प्रदान करने की जानकारी देते हुए सभी को आंमत्रित किया गया ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने संस्था अधिकारियों / कर्मचारियों को विगत 12 वर्ष से लंबित छटे वेतनमान के लागू न होने का मुद्दा उठाया।

राज्य सचिव एवं राज्य कोषाध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि शासन की स्वीकृति के अभाव में वांछित वेतनमान लागू किया जाना संभव नहीं है तथा वर्तमान में अनुदान भी पॉचवे वेतनमान के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है। प्रयासों से अनुदान राशि में वृद्धि हुई है लेकिन यह राशि छटवें वेतनमान लागू करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

निर्णयः—इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य मुख्य आयुक्त ने माननीय वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासन से अतिशीघ्र चर्चा कराने एवं बैठक निर्धारित करने हेतु निज सहायक एवं राज्य सचिव को निर्देश दिये ।

कार्यवाही :– राज्य सचिव

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि संस्था के नियमित एंव संविदा कर्मचारियों की ई.पी.एफ. कटौत्रा एवं संस्था अशंदान राशि माह जनवरी–18 तक की उनके खाते में जमा कर दी गई है।

राज्य शिक्षा केन्द्र से स्काउट–गाइड गतिविधियों हेतु अनुदान की राशि 133 लाख प्रतिवर्ष वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक तीन वर्ष हेतु स्वीकृत होने व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राप्त राशि के उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने की जानकारी दी गई जिस पर सदन ने हर्ष व्यक्त करते हुए राज्य मुख्य आयुक्त को धन्यवाद दियां ।

श्री राजीव जैन ने स्काउट–गाइड फैलोशिप के सम्बन्ध में चर्चा की एवं सदस्यता वृद्धि हेतु सहमति व्यक्त की।

राज्य सचिव ने फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने न होने की समस्या के सम्बन्ध में कार्यकारिणी को विस्तार से अवगत कराते हुए कहा कि संस्था के कम्प्यूटर आउट डेटेड हो रहे है। फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने हेतु अपडेटेड कम्प्यूटर सिस्टम, साफ्टवेयर क्रय, प्रशिक्षण तथा स्किल कम्प्यूटर आपरेटर / प्रशिक्षण से कार्य होगा । संस्था में समय पर वेतन भुगतान की समस्या है फाईल ट्रेकिंग सिस्टम लागु करने में बड़ी राशी व्यय होने की संभावना है अनेक देनदारियों का भुगतान किये जाना है, जबकि संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ।

निर्णयः— राज्य मुख्य आयुक्त ने चर्चा कर दो माह में व्यवस्था लागू करने का समय दिया।

कार्यवाही :– स्टेशनरी कक्ष एवं जनसंपर्क कक्ष

पालन प्रतिवेदन के अंतर्गत मासिक पत्रिका "बालचर रवि" की चर्चा करते हुए राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्य मुख्य आयुक्त के प्रयासों से पत्रिका को जनसंपर्क विभाग म.प्र. शासन से वर्ष में 06 विज्ञापन प्राप्त होने लगे हैं पूर्व में 03 विज्ञापन प्राप्त होते थे । राज्य मुख्य आयुक्त–कर्नाटक ने माननीय राज्य मुख्य आयुक्त म.प्र. को पत्र भेजकर मासिक पत्रिका की प्रशंसा की है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा संस्था के उज्जैन में निर्माणाधीन भवन की वर्तमान स्थिति बताते हुए आवश्यक राशि की जानकारी सदन को दी। उन्होनें जिला संघ मद से भी राशि प्राप्त करने की स्वीकृति चाही । राज्य मुख्य आयुक्त ने उज्जैन के माननीय विधायकगण से इस सम्बन्ध में अनुरोध कर राशि प्राप्त करने का सुझाव दिया ।

श्री आर के तिवारी ने, स्काउट बैठकों में भाग लेने हेतु जिला संघों से टी.ए. प्राप्त नहीं होने का जिक्र किया। राज्य सचिव ने सम्बन्धित जिला संघों के नाम से अवगत कराने का कहा, जिस पर श्री तिवारी ने शीघ्र अवगत कराने का कहा।

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि जिला संघों सहित मुख्यालय की आय में वृद्धि हेतु विद्यालयों में लिये जाने वाले शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है, शासन से स्वीकृति होने की प्रतीक्षा है। इसी प्रकार अशासकीय स्कूलों को पंजीयन जमा करने हेतु शासन स्तर से पत्र जारी किया जाना चाहिये।

सुश्री ज्योत्सना गुर्जर ने दल पंजीयन प्राप्त होने पर एन.ओ.सी. के आधार पर ही स्कूलों को मान्यता / नवीन पंजीयन हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासन से आवश्यक निर्देश जारी करवाने का सुझाव दिया।

निर्णयः– राज्य मुख्य आयुक्त ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित से चर्चा कराने के निर्देश दिये।

कार्यवाही :– सहायक सचिव

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने अवगत कराया कि कुछ नवीन जिला मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई है सभी जिला मुख्य आयुक्त को उनके कार्य व कर्तव्य की जानकारी दी जाने हेतु एक बैठक आमंत्रित की जानी चाहिये।

निर्णयः–प्रदेश के जिला मुख्य आयुक्तों का एक सम्मेलन आयोजित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यवाही :– राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)

बिन्दु क्र.–02 – वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट एवं 2018–19 का प्रस्तावित बजट का अनुमोदन –

डॉ बलवान सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष ने संस्था का वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया –

श्री भंवर शर्मा, इन्दौर द्वारा कहा गया कि कार्यकारिणी के सदस्यों को एजेण्डा बैठक के पूर्व भेजा जाये जिससे एजेण्डा बिन्दुओ का अवलोकन किया जा सके। राज्य मुख्य आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया कि एजेण्डा की प्रति कम से कम एक सप्ताह पूर्व कार्यकारिणी के सदस्यों को भेजी जायें।

राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुमोदित सकल बजट में 1150.32 लाख आय एवं 1173.00 लाख रूपय के व्यय का अनुमान लगाया गया था। जिसके विरूद्ध जनवरी–2018 तक वास्तविक आय 504.55 लाख एवं व्यय 539.48 लाख हुआ है। वित्त वर्ष 2017–18 में दो महीनो में आय 493.48 लाख एवं व्यय 392.12 लाख होना संभावित है, जिसमें राज्य शिक्षा केन्द्र से मिलने वाली राशि 133 लाख सम्मिलित है। इस प्रकार वर्ष 2017–18 की पुनरीक्षित आय 998.03 लाख रू. एवं व्यय 931.60 लाख रू. होना संभावित है।

वित्त वर्ष 2018–19 में समग्र बजट में आय 1443.30 लाख रू. एव व्यय 1314.64 लाख रू. का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वित्त समिति द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रो के संधारण हेतु राशि 10 लाख की अतिरिक्त राशि की अनुशंषा की गई है। इस प्रकार वर्ष 2018–19 के लिए 1324.64 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

स्थापना शाखा – वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय 381.50 लाख एवं व्यय 338.45 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया है। जिसमें संस्था के सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित स्वत्वों का भुगतान करने का भी प्रावधान शामिल किया गया है।

पंजीयन शाखा – वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय 308 लाख एवं व्यय 291.31 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया है। जिसमें वित्त समिति की अनुशंसा अनुसार अतिरिक्त राशि रू. 10 लाख शामिल है।

साज–सज्जा शाखा – वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय 196.30 लाख एवं व्यय 146.11 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया है।

अभिरूचि शाखा – वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय 79.95 लाख एवं व्यय 67.22 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया है।

पत्रिका शाखा – वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय 10.50 लाख एवं व्यय 09.55 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया है।

परियोजना शाखा – वित्तीय वर्ष 2018–19 में आय 472 लाख एवं व्यय 472 लाख व्यय का अनुमान लगाया गया है। जिसमें शासन से स्काउट/गाइड गतिविधियों हेतु प्राप्त होने वाले अनुदान एवं सामान्य शिविरो से प्राप्त होने वाले आय को भी सम्मिलित किया गया है।

राज्य कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट के संबंध में निम्न बिन्दु विशेष उल्लेखनीय है :–

1. अनुदान नियमावली 1980 में प्रावधान है कि कर्मचारियों के वेतन–भत्तो के अलावा अन्य व्ययो हेतु अनुदान का भी प्रावधान सम्मिलित है। पूर्व में सिर्फ कर्मचारियों के वेतन भत्तो हेतु ही प्रस्ताव भेज कर राशि की मांग की जाती है। किन्तु वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतन भत्तो के अलावा अतिरिक्त राशि की मांग की गई जिसके आधार पर अतिरिक्त 10 लाख रू. का आंशिक प्रावधान अन्य व्यय हेतु किया गया है। वर्ष 2018–19 हेतु शासन द्वारा वेतन–भत्तों अन्य व्यय हेतु अनुदान राशि 210 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।
2. प्रशिक्षण केन्द्र जिनका अधिपत्य संस्था के पास है उनका विकास कार्य हेतु 12.00 लाख का प्रावधान किया गया है एवं बैक ऋण की अदायगी का भी प्रावधान किया गया है।
3. पत्रिका शाखा में पहले जन सम्पर्क विभाग से वर्ष में 03 विज्ञापन प्राप्त होते थें वर्तमान में मान.राज्य मुख्य आयुक्त के प्रयासो से हमें 06 विज्ञापन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। मार्च 17 के पश्चात वार्षिक सदस्य 198 एव आजीवन सदस्य में 65 सदस्यों की वृद्धि हुई है। किन्तु फिर भी व्यय आय से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में पत्रिका शाखा की आय बढाने हेतु संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। संभागीय एवं जिले के अधिकारियों को पत्रिका की सदस्यता वृद्धि हेतु लक्ष्य दिया जाकर सतत मॉनिटरिंग कर सदस्यता में वृद्धि की जा सकती है।

4. वर्ष 2017–18 स्काउटिंग/गाइडिंग गतिविधियों एवं दल गठन पंजीयन/नवीनीकरण हेतु राज्य मुख्यालय को आदिवासी विकास विभाग से 35.23 लाख एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से 25.50 लाख प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त स्काउट/गाइड गतिविधियों हेतु आदिवासी विकास विभाग से 72 लाख व अनुसूचित जाति विकास से 05 लाख जिलो को आवंटित हुए है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्ष 2017–18 से आगामी 03 वर्षो तक अनुदान 133 लाख प्रतिवर्ष देने का प्रावधान किया गया है।

5. राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा बजट पुनरीक्षित करने की आवश्यकता बनाते हुऐ बताया कि पूर्व कर्मचारियों की देनदारियो (सी.पी.एफ., अवकाश नगदीकरण, उपादान) का भुगतान करने हेतु प्रावधान भी किया गया है। वर्ष 2017–18 का पुनरीक्षित बजट एवं वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट पढकर सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया है।

6. राज्य कोषाध्यक्ष ने म.प्र. में पहली बार स्काउट व गाइड गतिविधियों को पृथक–पृथक बजट निम्नानुसार प्रस्तुत किया :–

1. स्काउट गतिविधियॉ – 139.06 लाख रू.
2. गाइड गतिविधियॉ – 103.88 लाख रू.

2017–18 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें भारत स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों को निर्धारित कलेण्डर के अनुसार संचालित कर उत्तरोतर प्रगति की ओर अग्रसर होकर उच्च सोपान की सफलता प्राप्त करने हेतु कृत संकल्प है। राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा बजट की सराहना करते हुये संस्था की वित्तीय उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया।

सभी ने सर्वसम्मति से बजट को स्वीकृति प्रदान की।

निर्णय : सदन ने सर्वसम्मति से वर्ष 2016–17 का वास्तविक आय–व्यय तथा सत्र 2017–18 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2018–19 का प्रस्तावित बजट हर्षध्वनि से पारित किया।

कार्यवाही :– लेखाधिकारी

बिन्दु क्र.–03 – अंकेक्षण प्रतिवेदन 2016–17 का अनुमोदन –

डॉ बलवान सिंह, राज्य कोषाध्यक्ष ने संस्था का वर्ष 2016–17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया –

राज्य कोषाध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि वर्ष वर्ष 2014–15 की सी.ए. रिपोर्ट में सभी शाखाओं की सभी 22 आपत्तियों का निराकरण किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 की 19 आपत्तियों मे से सभी का निराकरण किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 में संबंधित शाखाओं के अधिकाशं लम्वित अग्रिमों का समायोजन किया जा चुका है। शेष का समायोजन करने की कार्यवाही जारी है जो शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य कोषाध्यक्ष ने अवगत कराया कि साज–सज्जा कक्ष में वर्ष 2010–11 से विक्रय की गई सामग्री के बिल नही बनाये गये थें। जिससे जिला/संभाग पर बकाया राशि का वास्तविक विवरण प्राप्त नही हो पा रहा था। पिछले वर्षो में जिलो/संभाग को विक्रय की गई सामग्री के बिल तैयार कर राशियों का समायोजन किया गया है। वर्ष 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन मे कोई आपत्ति नही है। राज्य कोषाध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि पिछले वर्षो की तुलना में संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो रही है। अतः वर्ष 2016–17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

श्री राजीव जैन द्वारा लीगल कोर्ट केस में अधिक राशि व्यय होने के संबंध में जानना चाहा। राज्य सचिव ने अवगत कराया की अधिकांश कोर्ट केस पूर्व प्रबंधन की अवधि के है जो समाप्त हो चुके है लगभग 10–12 प्रकरण शेष रहे है। राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा कहा गया कि पुराने लम्बित कोर्ट केस के निराकरण हेतु एक समिति बनाकर संबंधितो से चर्चा कर प्रकरणो का निराकरण किया जायें।

श्री विजय आंबेकर एवं श्री आर के तिवारी ने अकेंक्षण प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही से सहमति प्रकट की ।

निर्णय : सदन ने सर्वसम्मति से वर्ष 2016–17 का अंकेक्षण प्रतिवेदन हर्षध्वनि से पारित किया तथा लंबित कोर्ट केस प्रकरण के निराकरण हेतु समिति गठित कर प्रकरणों का निराकरण किया जावे ।

कार्यवाही :– लेखाधिकारी

बिन्दु क्र.–04 – वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना 2018–19 का अनुमोदन –

श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) ने संस्था के वार्षिक कार्यक्रम एवं वार्षिक योजना 2018–19 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि राज्य मुख्यालय ने 10 वर्षो का स्काउटिंग का विजन बनाया है जिसकी प्राथमिकताओं का कार्यक्रमों में समावेश किया गया है। राज्य स्तरीय, प्रस्तावित वयस्क प्रशिक्षण, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय एंव ग्रुप स्तरीय वार्षिक कार्यक्रम का समावेश किया गया है। इसे मान्य करने का सदन से अनुरोध है।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि जिलों में कार्यक्रम सुचारू नहीं हो पाते हैं व प्रतिभागिता कम रहती है। कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग होना चाहिये। श्री दिसोरिया ने कहा कि शिविर/कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग राज्य मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा की जाती है। यह स्वैच्छिक संस्था है संभाग/जिले के पदाधिकारियों का भी हमें

सहयोग अपेक्षित है।

श्री आर. के. तिवारी ने ने रोवर शताब्दी वर्ष होने के उपलक्ष्य में रोवर्स सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया।

श्री राकेश डागौर ने सुझाव दिया कि अभिरूचि के अंतर्गत हस्तकला, रंगौली प्रतियोगिता वडे स्तर पर आयोजित हो एवं प्रतियोगिता भी रखी जावे, आधुनिक विधाओं को सम्मिलित किया जावे। राज्य सचिव ने अवगत कराया कि आधुनिक विधाओ को जोड़ने हेतु एक पाठ्यक्रम डिजायन किया जा रहा है इस सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय में एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। श्री राजीव जैन ने भी एन.जी.ओ. से संपर्क कर चर्चा करने का सुझाव दिया।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा सहितं उपस्थित सदस्यों ने गतिविधियों में वृद्धि करने का कहा तथा भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. से जुड़े व कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने वाले सभी सहयोगी हेतु धन्यवाद व्यक्त किया तथा वार्षिक कार्यक्रम एवं योजना सत्र 2018–19 पर अपनी सहमति प्रदान की ।

निर्णय :–सदन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम एवं कार्य योजना 2018–19 को सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यवाहीः– राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड)

बिन्दु क्र.–05 – सत्र 2018–19 के प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अनुमोदन –

राज्य सचिव ने सदन को अवगत कराया कि प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तावित प्रस्ताव इस प्रकार है–

क्र.	विभाग का नाम	प्रस्तावित राशि
1.	राज्य शिक्षा केन्द्र	1,50,58,982.00
2.	अनुसूचित जाति विकास विभाग	8,17,400.00
3.	जनजातीय कार्य विकास विभाग	89,59,050.00
4.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1,07,89,450.00
5.	राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु प्रस्तावित अनुपूरक बजट का प्रस्ताव–	1,98,12000.00

उपरोक्तानुसार वर्ष 2018–19 हेतु रुपये 5,54,36,882.00 के प्रस्ताव तैयार कर भेजे गये है । सदन के सभी सदस्यों ने प्रस्तावों से सहमति व्यक्त की । माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि इससे राज्य में स्काउटिंग गतिविधियों की वृद्धि होगी । मैं आवश्यक सहयोग हेतु तत्पर हूँ।

निर्णय :–स्काउट–गाइड प्रोजेक्ट की राशि प्राप्ति हेतु हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

कार्यवाहीः–सहायक सचिव

बिन्दु क्र.–06 – संस्था को प्राप्त साधारण/आजीवन सदस्यों की सदस्यताः– राज्य सचिव द्वारा संस्था के आजीवन सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों के संबंध में अवगत कराया कि संस्था की **आजीवन सदस्यता** हेतु 32 आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुये है जो निम्नानुसार है :–

क्र.	नाम	पता
1	श्री प्रदीप तामोट	ई– 3/27, अरेरा कालोनी, भोपाल म.प्र.।
2	श्री तरूण अग्रवाल	सोनल ब्यूटी पार्लर के पास, गुरूद्वारे के पीछे, ए.बी.रोड, शिवपुरी म.प्र.।
3	श्री दिलीप कुमार अरोरा	अरोरा कॉटेज, मरहुन नगर, सतना म.प्र.।
4	श्रीमती राजश्री गर्ग	76, "सी", इन्द्रपुरी, भोपाल म.प्र.।
5	श्री अभिषेक रघुवंशी	म.न. 49, ग्राम नीगरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन म.प्र.।
6	श्री राजेश लखेरा	महिमा मोटर्स, पुराना बस स्टेण्ड, नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र.।
7	डॉ उदयसिंह महेश्वरी	शा. पशु चिकित्सालय आष्टा, जिला सीहोर म.प्र.।
8	डॉ मुकेश इन्दौरिया	85, पारस गुलाब वाटिका, सीहोर म.प्र.।
9	श्री रमाकांत शर्मा	3/3, सॉवरिया धाम, हुकुमचन्द्र कालोनी, 420, पापड़ वाली गली, इंदौर म.प्र.।
10	श्री राकेश डागोर	03, गौतमपुरा, मेनरोड, इंदौर म.प्र.।
11	मोहम्मद जावेद नागोरी	39, मदारगेट, उज्जैन म.प्र.।
12	श्री अम्बाराम कराड़ा	5 /5, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, फव्वारा चौक, उज्जैन म.प्र.

13	श्री सतीश दुबे	113, सेठी नगर, उज्जैन म.प्र.।
14	श्री अश्विन नागर	ए– 2/18, बसंत विहार, उज्जैन म.प्र.।
15	श्री मोहन धारपुरे	जी–1/12, जवाहर नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन म.प्र.।
16	डॉ प्रशांत पुराणिक	59, राजस्व कालोनी, उज्जैन म.प्र.।
17	मोहम्मद जावेद	40, शिकारी गली, उज्जैन म.प्र.।
18	श्री सुरेश पांचाल	64, मानसरोवर कालोनी, श्रीराम नगर के पीछे, उज्जैन।
19	श्री रमेश चंद्र शर्मा	94, श्री कृष्ण कालोनी, अंकपात मार्ग, उज्जैन म.प्र.।
20	डॉ रामजी खरे	84, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बस स्टेण्ड, दतिया म.प्र.।
21	श्री राजेश तिवारी	23, प्रकाश नगर, अयोध्या बायपास रोड (बी.एच.ई.एल.), भोपाल म.प्र.।
22	सुश्री ज्योत्सना गुर्जर	13, बिजली नगर कालोनी (प्रायवेट), गोविंदपुरा, भोपाल ।
23	श्री संदीप खरे	एच एक्स–65, ई–7 एक्सटेंशन, अरेरा कालोनी, भोपाल।
24	श्री प्रशांत शर्मा	117, कायस्थ मौहल्ला, बड़ोद आगर मालवा।
25	श्री सत्यनारायण शर्मा	73, विवेकानंद नगर, आगर मालवा म.प्र.।
26	श्रीमती सुशीला शर्मा	73, विवेकानंद नगर, आगर मालवा म.प्र.।
27	श्रीमती सीमा शर्मा	117, कायस्थ मौहल्ला, बड़ोद आगर मालवा।
28	विक्रम चित्तौड़ा	49, अमरसिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन म.प्र.।
29	श्री महेन्द्र कुमार जैन	5, अमरसिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन म.प्र.।
30	श्रीमती विजया यादव	धर्म टेकरी रोड, कुकड़ा, छिंदवाड़ा म.प्र.

राज्य सचिव ने अवगत कराया कि सदस्यों को फोल्डर में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अतिरिक्त आजीवन सदस्यता हेतु निम्न दो आवेदनों का भी परीक्षण हो गया है अतः इन्हें भी सम्मिलित करने का अनुमोदन प्रस्तावित है।

31	श्री मोहम्मद सईद शेख	36, मौलाना आजाद नगर, जानसापुरा, उज्जैन।
32	श्री अशोक कुमार पांचाल	ग्राम दौन्ना जागीर, देवास म.प्र.।

इसी प्रकार संस्था की <u>साधारण सदस्यता</u> हेतु 07 आवेदन इस कार्यालय को प्रॉप्त हुये है जो निम्नानुसार है :

क्र.	नाम	पता
1	श्री प्रभेन्द्र गौतम	संत नगर बगहा (पश्चिमी) सिविल लाइन्स, सतना म.प्र.।
2	श्री रावेन्द्र कुमार दीक्षित	हनुमान नगर, नई बस्ती, पोस्ट विरसा विकास, वार्ड क्र. 15, जिला सतना म.प्र.।
3	श्री दयाराम द्विवेदी	रेलवे फाटक के पास, मुख्यार गंज, सतना म.प्र.।
4	श्री यशवंत जाधव	नर्मदा निवास, सारंगपुर रोड, कानड़
5	श्री मनोज शर्मा	212, सीतला माता गली, मकदौन, आगर मालवा म.प्र.।
6	श्री कालूसिंह वर्मा	ग्राम–सनावदा, पोस्ट–हरगनखेड़ी, आगर, आगर मालवा म.प्र.।
7	भैरूलाल शर्मा	ग्राम–फतेहपुर मेढकी, आगर, आगर मालवा म.प्र.।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा, श्री आर.के.तिवारी सहित उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुए सदस्यता में वृद्धि हेतु प्रयास करने का सुझाव दिया। नवीन आजीवन एवं साधारण सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान कर अनुमोदित किया।

<u>निर्णय :– सदस्यों की सदस्यता की अनुमति</u> प्रदान की गई ।

कार्यवाही :– कार्यालय अधीक्षक

<u>बिन्दु क्र.–07 – अलंकरण समिति द्वारा चयनित स्काउटर–गाइडर का अनुमोदनः</u>– राज्य सचिव ने सदन में अवगत कराया कि संस्था के सहयोगियों, कार्यकर्ताओं, विशेष कार्यक्रमों में सहयोगियों, संस्था से लंबी अवधि से जुड़े प्रशिक्षको, पदाधिकारियों, राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा अनुशंसितों व अन्य सम्बन्धितों को विभिन्न अवार्ड/प्रशस्ति

पत्रों से राष्ट्रीय स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार एवं राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल, म.प्र. सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। प्रदेश में राज्यपाल रैली एवं अंलकरण कार्यक्रम 09.04.2018 को होना सुनिश्चित हुआ है कार्यक्रम में सम्मानित होने हेतु चयनित सूची इस प्रकार है–

राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर एलिफेन्ट अवार्ड हेतु –

क्र.	नाम	पदस्थ
1	माननीय श्री पारस चन्द्र जैन, राज्य मुख्य आयुक्त, बी, 21, चार इमली भोपाल । सिंहस्थ में उल्लेखनीय प्रबंधन	रा.मु., भोपाल
2	माननीय श्री मोहन यादव, विधायक उज्जैन दक्षिण एवं अध्यक्ष भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ, उज्जैन म.प्र.।	जिला संघ, उज्जैन
3	श्री प्रकाश चित्तौड़ा, सहा.रा.आ. जिला मुख्यालय आयुक्त, 48, गोवर्धन धाम कालोनी, सांवेर रोड, उज्जैन म.प्रं (विशेष सहयोग हेतु)।	जिला संघ, उज्जैन
4	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, जिला मुख्य आयुक्त, 94, श्रीकृष्ण कालोनी अंकपात रोड उज्जैन।	जिला संघ, उज्जैन
5	श्री हेमचन्द्र शर्मा, आजीवन सदस्य प्रतिनिधि, 8, वीरनगर ईदगाह रोड, इंदिरानगर, उज्जैन।	जिला संघ, उज्जैन
6	श्री आनंदीलाल हिण्डोलिया, जिला संगठन आयुक्त–स्काउट, विजय स्तम्भ चौक के पास, बड़नगर, उज्जैन।	जिला संघ, उज्जैन

दीर्घकालीन अवार्ड–

क्र.	नाम	पता	सेवा अवधि
1	श्रीमती शशिकला त्रिवेदी	जिला सचिव जिला एशोशिएशन झाबुआ	10 वर्ष की सेवा
2	श्री नीरज कोरान्ने	शा.प्रा.वि.गोपालपुरा झाबुआ	10 वर्ष की सेवा
3	श्री महेन्द्र नारायण शर्मा	शा.मा.वि. धमना जिला दतिया	10 वर्ष की सेवा
4	श्री अभिराम शर्मा	वरिष्ठ अध्यापक शा.क.उ.मा.वि.उनाव दतिया	10 वर्ष की सेवा

सिंहस्थ 2016 उज्जैन में सेवा कार्य हेतु धन्यवाद बैज से सम्मानित किये जाने हेतु–

1	श्री अरविंद सिंह, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग उज्जैन ।	जिला संघ उज्जैन
2	श्री संजय गोयल, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन ।	जिला उज्जैन
3	श्री भरत व्यास, (1) प्राचार्य, सहायक जिला कमिश्नर, उत्कृष्ट उ.मा.वि. माधवनगर, उज्जैन। (2) 12/8 अलकनंदानगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
4	श्री विवेक तिवारी, प्राचार्य, हाईस्कूल फाजलपुरा, उज्जैन।	जिला उज्जैन
5	श्री अनोखी लाल शर्मा, जिला संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि, 264/464, ई.डब्ल्यू.एस. इंदिरानगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
6	श्री सदाशिव वर्मा, सहा.लीडर ट्रेंनर, महाकाल रोड, उज्जैन।	जिला उज्जैन
7	श्री मानसिंह चौहान, जिला मुख्यालय आयुक्त, ग्राम–चिंतामण, पोस्ट–चिंतामण, जवासिया, उज्जैन।	जिला उज्जैन
8	श्री अशोक जैन , गणेश इलेक्ट्रिक, नई सड़क, उज्जैन म.प्र.।	जिला उज्जैन
9	श्री रामसिंह बनिहार, कोषाध्यक्ष, 40/1, नगर निगम कालोनी, उज्जैन।	जिला उज्जैन
10	श्री रमेश सिरवैया, उपाध्यक्ष, 24, भोज मार्ग, उज्जैन।	जिला उज्जैन
11	श्री भगवन लाल डोडिया, 13, आर्य समाज मार्ग, मालीपुरा, उज्जैन।	जिला उज्जैन
12	श्री देवेन्द्र स्वरूप पटेरिया, ए–12/7, चिंताहरण हनुमान मंदिर के पास, महानंदा नगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
13	श्री अनिल सक्सेना, नालंदा एकेडमी, उदययन मार्ग, 21, मक्सी रोड, उज्जैन।	जिला उज्जैन
14	श्री आर.के.श्रीवास्तव, कार्यापालन यंत्री, लो.स्वा.यंत्रिकी विभाग उज्जैन	जिला उज्जैन
15	श्री सुरेश पाठक , (1) शा.क.मा.वि. धानमंडी, उज्जैन (2) 3/11, चंद्रशेखर मार्ग, दानीगेट, उज्जैन।	जिला शाजापुर
16	श्री कन्हैयालाल राठौर, शा.मा.वि. पिपलिया, बीछा उज्जैन।	जिला उज्जैन
17	श्री महेन्द्र पाटीदार, एस.के.बी.एम.हा.से. स्कूल, उज्जैन।	जिला उज्जैन
18	श्रीमती मोहनी मालवीय ग्रुप गा.प्रतिनिधि, (1) शा.क.उ.मा.वि. धानमंडी उज्जैन (2) 57/1, शिवम दमदाम कोठी रोड, उज्जैन।	जिला उज्जैन
19	श्री अशोक पवार, शा.मा.वि. माधवगंज, उज्जैन।	जिला उज्जैन
20	श्री प्रदीप देवड़ा रोवर लीडर, उत्कृष्ट उ.मा.वि. तराना, जिला उज्जैन।	जिला उज्जैन
21	श्री अरविंद जोशी आजीवन सदस्य, क्रीड़ा अधिकारी, शिक्षा विभाग, उज्जैन।	जिला उज्जैन
22	श्री निर्भय सिंह बडाल कब मास्टर प्रा.वि. गुराड़िया, तराना जिला उज्जैन।	जिला उज्जैन

23	श्री ओमकार सिंह ऑजना स्काउटर, शा. मा.वि.बमनापाती इंगोरिया, तहसील–बड़नगर, उज्जैन ।	जिला उज्जैन
24	श्री कैलाश बारोड़, एल–43, महाशक्तिनगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
25	श्री जगदीश बारोड़, 14 आर्य समाज मार्ग, मालीपुरा, उज्जैन।	जिला उज्जैन
26	श्री ब्रजमोहन गोस्वामी , उ.मा.वि. जगोठी, उज्जैन।	जिला उज्जैन
27	श्री श्याम सुंदर सोनी, 220/240 ई.डब्ल्यू.एस. इंदिरानगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
28	श्री राजेन्द्र कुंभारे, पी.एच.ई. देवासगेट, उज्जैन।	जिला उज्जैन
29	श्री रमेश चन्द्र व्यास, डी–223, अमरनाथ एवेन्यु, अंजुश्री होटल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन।	जिला उज्जैन
30	श्री रामेश्वर देपन, जिला सचिव, शा.मा.वि. महाराजवाड़ा क्र.2, उज्जैन।	जिला उज्जैन
31	श्रीमती ज्ञान भार्गव पूर्व जिला कमिश्नर गाइड, 77, आजाद नगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
32	श्री केशव जोशी, 36, अलकापुरी, उज्जैन।	जिला उज्जैन
33	श्री ओमप्रकाश राय, 3/4, एल.आई.जी. द्वितीय, इंदिरा नगर, उज्जैन म.प्र.।	जिला उज्जैन
34	श्री दिनेश सिंह परिहार, आजीवन सदस्य, ए–14/9, महानंदा नगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
35	श्री दिलीप तिवारी, उत्कृष्ट उ.मा.वि., बड़नगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
36	श्रीमती सावित्री मंडलोई, डी.टी.सी.गा., शा.हाईस्कूल, भैरवगढ़, उज्जैन।	जिला उज्जैन
37	श्रीमती जयश्री पाठक, ग्रुप गाइडर, शा.क.उ.मा.वि. माधवगंज, उज्जैन	जिला उज्जैन
38	श्रीमती रेखा शर्मा, ई.डब्ल्यू.एस. 26, ऋषिनगर, उज्जैन।	जिला उज्जैन
39	सुश्री मंजुलता भाटी, शा.मा.वि.हामूखेड़ी उज्जैन।	जिला उज्जैन
40	श्रीमती छोटी बाई जारवाल, 131/1, बागपुरा, सॉवेर रोड, उज्जैन।	जिला उज्जैन
41	श्री ओ.पी.गुप्ता, टी.टी.नगर, मीरा नर्सिंग होम के पास, मुरैना ।	जिला मुरैना
42	श्री एम.एस. राठौर, म.न. 255, एल.आई.जी, जवाहरनगर, देवास म.प्र.।	जिला देवास, राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा आदेशित

सिंहस्थ में उल्लेखनीय सेवायें देने पर निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ती पत्र दिये जाने हेतु–

1. श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर, संयुक्त राज्य सचिव, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल।
2. श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल।
3. श्री बी.एल.शर्मा, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल।
4. श्रीमती चन्द्रकांता उपाध्याय, राज्य संगठन आयुक्त गाइड, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल।
5. श्री एच.सिद्दिकी, सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय, भोपाल।
6. श्री हरिदत्त शर्मा, सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, इंदौर ।
7. श्री प्रमोद गंगराड़े, सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, उज्जैन ।
8. श्रीमती संतोष सिंह, सहायक राज्य संगठन आयुक्त (गाइड), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, रीवा ।
9. श्री बनवारी लाल चौरे, जिला संगठक आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, होशंगाबाद ।
10. श्री सुखदेव सिंह चौहान, सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, ग्वालियर ।
11. श्री धीरज सोनी, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, रतलाम ।
12. श्रीमती अनुभूति सिंह, जिला संगठन आयुक्त (गाइड), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, देवास।
13. श्रीमती सविता सुल्लैरे, सहायक ग्रेड–3, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, उज्जैन म.प्र.।
14. श्री प्रदीप व्यास, सहायक ग्रेड–3, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, उज्जैन।
15. श्रीमती अनीता पाण्डेय, संविदा सहायक, भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, उज्जैन म.प्र.।
16. श्री गजराज सिंह, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, सागर म. प्र.।

17. श्री सुशील बिल्लौरे जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, रायसेन।
18. श्री सुशील कुशवाहा, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, धार।
19. श्री गणेश श्रीवास्तव, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, बड़वानी ।
20. श्री वीर सिंह, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., संभागीय कार्यालय, मुरैन म.प्र.।
21. श्री ललित मिश्रा, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, कटनी।
22. श्री मनोज पटेल, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, शाजापुर।
23. श्री शंकर सिंह, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, दतिया।
24. श्री अतिबल सिंह, जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, भिण्ड ।
25. श्री मुंशीलाल अहिरवार. जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, टीकमगढ़ ।
26. श्रीमती कंचन सिंह. जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, दमोह।
27. श्रीमती शर्मिष्ठा जगताप. जिला संगठन आयुक्त (गाइड), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, अशोकनगर ।
28. श्रीमती अनीता सोनेवाने. जिला संगठन आयुक्त (गाइड), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, विदिशा ।
29. श्रीमती जानकी सिंह. जिला प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड), तिलक हाईस्कूल, मकरोनिया, सागर ।
30. श्री विश्वनाथ मिश्रा. जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, सतना।
31. श्री नरेन्द्र शर्मा. जिला संगठन आयुक्त (स्काउट), भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., जिला संघ कार्यालय, नरसिंहपुर
32. श्री आनंदीलाल हिंडोलिया. जिला संगठन आयुक्त (स्काउट),
33. श्रीमती मंजूलता भाटी, शा.मा.वि. हामूखेड़ी, उज्जैन।
34. श्रीमती शीला शर्मा, आदर्श संस्कृत उ.मा.वि. मोहननगर, उज्जैन।
35. श्री गणेश शर्मा, मारूति एकेडमी स्कूल, सातरूडा, रतलाम।
36. श्री शत्रुहन लाल साहू. सहायक ग्रेड–3 भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र., राज्य मुख्यालय भोपाल।

उपस्थित सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की । राज्य मुख्य आयुक्त ने मैडल के साथ प्रशस्ति पत्र भी दिये जाने का सुझाव दिया।

निर्णय :–अलंकरण हेतु चयनितों को मैडल के साथ प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जावे।

कार्यवाही :– राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)

बिन्दु क्र. 08 कार्यालयीन प्रस्ताव :–

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा निम्नलिखित कार्यालयीन प्रस्ताव सदन में माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे गये।

प्रस्ताव क्र. 01 :

भारत स्काउट एंव गाइड, राष्ट्रीय परिषद नई दिल्ली हेतु, भारत स्काउट एंव गाइड मध्यप्रदेश के नामांकित प्रतिनिधियों की सूची में श्री प्रकाश चित्तौड़ा, सहायक राज्य आयुक्त (स्काउट) का नाम प्रेषित किया गया है। श्री चित्तौड़ा कतिपय व्यक्तिगत कारणों से राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, अतः उनके स्थान पर श्री राजीव जैन, सहायक राज्य आयुक्त(स्काउट) को राष्ट्रीय परिषद हेतु नामांकित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया **जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।**

प्रस्ताव क्र. 02

सुश्री शीला दाहिमा, अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को राज्य आयुक्त(गाइड) नियुक्त किया गया था। सुश्री दाहिमा का स्थानांतरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर हो गया है एवं उनके द्वारा बैतूल में पदभार ग्रहण करने से राज्य आयुक्त (गाइड) से सम्बन्धित कार्यालयीन नस्तियों का निराकरण समय–सीमा में नहीं हो पा रहा था। अतः कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य मुख्य आयुक्त द्वारा श्रीमती सरोज चौकसे, अपर संचालक, जनजातीय कार्य विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल को राज्य आयुक्त (गाइड) के पद पर नियुक्त किया गया है। **उक्त नियुक्ति पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।**

प्रस्ताव क्र. 03

राज्य स्तर पर गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु श्री राकेश डागोर, 03 गौतमपुरा, मेन रोड, इंदौर तथा श्री अंबाराम कराड़ा, निवास–5/5 रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, फुव्वारा चौक, उज्जैन को सहायक राज्य आयुक्त

(स्काउट) एवं सुश्री ज्योत्सना गुर्जर, व्याख्याता, कमला नेहरू, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, टी.टी.नगर, भोपाल को सहायक राज्य आयुक्त (गाइड) नियुक्त किया गया है। **उक्त नियुक्तियों पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।**

प्रस्ताव क्र. 04

दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बिंदु 08 (7) यह निर्णय लिया गया था कि **"ऐसे संविदा कर्मचारी जिनकी 10 वर्ष तक की सफल सेवायें रही हैं उन्हें कार्यालयीन रिकार्ड आधार पर नियमित वेतन के लगभग समकक्ष वेतन का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।"**

उक्त निर्णय के अनुक्रम में 05 सदस्यीय समिति का गठन कर पात्र पाये गये निम्नांकित 05 संविदा कम्प्यूटर आपरेटर को 10 वर्ष की निरंतर सेवायें होने पर समिति की अनुशंसा अनुसार **"सहायक ग्रेड–3 पद के मूल वेतन के समकक्ष संविदा पारिश्रमिक"** दिया जाना प्रस्तावित है–

क्र.	**संविदा पदस्थ कम्प्यूटर आपरेटर**	**पदस्थी स्थान**
1.	श्री अजय व्यास	राज्य मुख्यालय, भोपाल।
2.	श्री देवेन्द्र मालवीय	राज्य मुख्यालय, भोपाल।
3.	श्री विनोद मिश्रा	राज्य मुख्यालय, भोपाल।
4.	श्री पदम् सिंह चौहान	संभागीय कार्यालय, भोपाल।
5.	श्रीमती नमीता मसकोला	संभागीय कार्यालय, इंदौर।

सर्वसम्मति से सहायक ग्रेड–3 के पद के वर्तमान मूल वेतन के समकक्ष संविदा पारिश्रमिक दिये जाने की सहमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव क्र. 05

जिन जिलों में जिला मुख्य आयुक्त सामाजिक प्रबुद्ध वरिष्ठ जन, गणमान्य, सेवाभावी व्यक्ति हैं उन जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को जिला आयुक्त (स्काउट/गाइड) मनोनीत किये जाने का प्रस्ताव है।

समस्त प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हुई। श्री रमेश चन्द्र शर्मा, डॉ बलवान सिंह सहित पदाधिकारियों व सदस्यों ने प्रस्तावों पर अपनी सहमति प्रदान की, राज्य मुख्य आयुक्त ने भी अपनी सहमती प्रकट की ।

<u>निर्णय :–समस्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये । इन पर आवश्यक कार्यवाही की जावे।</u>

कार्यवाही :– कार्यालय अधीक्षक

बिन्दु क्र. 09 सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा :–

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री आलोक खरे, राज्य सचिव द्वारा सदन को अवगत कराया कि सम्मानीय सदस्यों से निर्धारित समय–सीमा में, राज्य मुख्यालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

<u>बिन्दु क्र. 10 माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव पर चर्चा :–</u>

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यों ने अपने प्रस्ताव/सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जो इस प्रकार है–

(1) **श्री रमेश चन्द्र शर्मा** ने कहा कि पूर्व राज्य कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय हुआ था कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक भोपाल से बाहर भी आयोजित की जावे। पूर्व में पचमढ़ी में बैठक आयोजित करने की सहमति हुई थी, लेकिन वहॉ मरम्मत कार्य होने से बैठक आयोजित नहीं हो पाई । इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

राज्य मुख्य आयुक्त ने आगामी राज्य कार्यकारिणी बैठक उज्जैन में आयोजित करने की सहमति प्रदान की।

कार्यवाही :– कार्यालय अधीक्षक

(2) **श्री विजेन्द्र सिंह जादौन** ने कहा कि ग्वालियर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रोड चौडीकरण कार्य होने से कार्यालय का कुछ हिस्सा तोड़ा गया है। यदि कार्यालय पूरा हटाया जाता है तो बहुत परेशानी उत्पन्न होगी। अतः कार्यालय हेतु स्थान का चयन करना होगा इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाने का अनुरोध है।

राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा कि आवश्यकता होने पर उपयुक्त स्थल/भूमि ज्ञात कर विधायक निधि से कार्य करवाने की कार्यवाही की जावे। स्थिति से राज्य मुख्य आयुक्त को अवगत कराया जावे।

कार्यवाही :– राज्य प्रशिक्षण आयुक्त–स्काउट

(3) **श्री तरूण अग्रवाल** ने कहा शिवपुरी में 17 बीघा जमीन का नामांतरण हो चुका है जिसका सीमांकन होना है हमारी इच्छा है कि शिवपुरी में एक अच्छा प्रशिक्षण केन्द्र बने। साथ ही स्काउटिंग गतिविधियों में वृद्धि हेतु प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक को स्काउट प्रशिक्षण अनिवार्यतः लेने हेतु शासन स्तर पर पत्र जारी हो।

राज्य सचिव ने कहा कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के कारण स्काउटिंग गतिविधियों हेतु राशि की प्राप्त होना बंद हो गई। अब राज्य शिक्षा केन्द्र से प्रोजेक्ट हेतु राशि प्राप्त होने से गतिविधियॉं बढ़ेगी। कठिनाईयों को दूर करने हेतु आवश्यक उपाय किये जावेगें।

कार्यवाही :– सहायक सचिव

(4) **सुश्री ज्योत्सना गुर्जर** ने कहा के स्कूलों में स्काउटिंग हेतु प्राथमिकतायें तय हो, अनेक शिक्षक स्काउटिंग में रूचि नहीं लेते हैं स्कूल में पी.टी.आई को भी स्काउटिंग से जोड़ा जावे।

राज्य सचिव ने कहा कि हम इस सम्बन्ध में प्रयासरत है। माननीय राज्य मुख्य आयुक्त ने प्रस्ताव भेजा है आप सभी का सहयोग वांछनीय है।

कार्यवाही :— राज्य संगठन आयुक्त—स्काउट/गाइड

(5) **श्री आलोक खरे** ने कहा ऑडिट दल की कमी होने से जिलों में जमा पंजीयन/पत्रिक की राशी राज्य मुख्यालय को प्राप्त नहीं हो पा रही है। प्रदेश में 51 जिले हैं व राज्य मुख्यालय में स्टाफ की कमी है जिससे जिलों का ऑडिट नहीं हो पा रहा है। अतः सुझाव है कि शिक्षा विभाग, आदिवासी विभाग सहित अन्य लेखा सेवा के सेवानिवृत्त आडिटरो को इस कार्य हेतु एक निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जा सकता है। जिससे समस्त जिलों में ऑडिट होकर जिलों से जमा राशि राज्य मुख्यालय को प्राप्त हो सके ।

राज्य कोषाध्यक्ष एवं राज्य मुख्य आयुक्त ने प्रस्ताव से सहमति प्रकट की।

कार्यवाही :— लेखाधिकारी

(6) **श्री गिर्राज सिंह** ने जानना चाहा कि संस्था द्वारा आयोजित हाईक, ट्रेकिंग कार्यक्रम में क्या पदाधिकारी सम्मिलित हो सकते हैं ?

राज्य सचिव ने सम्मिलित होने पर सहमति व्यक्त की । राज्य कोषाध्यक्ष ने सुझाव दिया की कार्यक्रमों/गतिविधियों में सम्मिलित होने के पूर्व सभी नव नियुक्त जिला मुख्य आयुक्त कमिश्नर कोर्स करें जिससे उनको संस्था की गतिविधियों की जानकारी हो फिर उनका सम्मिलित होना उचित होगा।

कार्यवाही — : राज्य संगठन आयुक्त—स्काउट/गाइड

(7) **श्री शिवांशु कुमार सिंह ने** ने जानना चाहा कि स्काउटिंग गतिविधियों से जुडे बच्चों का डाटा रखे जाने की जानकारी चाही। श्री प्रकाश दिसोरिया, राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट) ने इस सम्बन्ध में उन्हें विस्तार से जानकारी प्रदान की।

(8) **श्री पंकज पांडे** ने रीवा जिला संघ में कार्यकारिणी ठप्प होने के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की। **राज्य सचिव ने नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।**

कार्यवाही :— संयुक्त राज्य सचिव

(9) **श्री राकेश डागौर** ने इंदौर जिला संघ के चिमनबाग स्थित कार्यालय एवं कालाकुंड प्रशिक्षण केन्द्र में मूलभूत सुविधायें व उन्नयन का सुझाव दिया। **राज्य सचिव ने कहा कि वित्तिय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पूरे प्रदेश में नियमानुसार कार्य किये जावेंगे। इस हेतु माननीय जनप्रतिनिधियों से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जावे।**

कार्यवाही :— राज्य प्रशिक्षण आयुक्त—स्काउट/गाइड

(10). श्री आर.के. तिवारी ने कहा कि विद्यालयों से पंजीयन राशि के साथ पत्रिका सदस्यता शुल्क राशि जिला कार्यालयों में जमा कराई जाती है किंतु कुछ जिला कार्यालयों द्वारा पंजीयन राशि के साथ पत्रिका की सदस्यता राशि राज्य मुख्यालय को नहीं भेजी जाती है तथा राशि जमा करने वाले पत्रिका प्राप्त न होने की शिकायतें करते हैं इस हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है। राज्य सचिव ने कहा कि इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारियों को पंजीयन राशि के साथ जमा कराई गई पत्रिका की सदस्यता राशि भी राज्य मुख्यालय को भेजने हेतु स्पष्ट निर्देश पुनः जारी किये जावेंगे।

कार्यवाही :—प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी/पत्रिका कक्ष।

बिन्दु क्र. 11 अध्यक्षीय उद्‌बोधन :—

माननीय श्री पारस चंद्र जैन, मंत्री—ऊर्जा, म.प्र.शासन एवं राज्य मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. ने राज्य कार्यकारिणी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे साथ सहयोग हेतु श्री डी.एस.राघव जी भी उपस्थित है श्री राधव जी समय—2 पर मूल्यवान सलाह प्रदान करते है। डॉ बलवान सिंह, कोषाध्यक्ष का कार्य भली भॉती व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं जिससे लेखा कक्ष की वर्षो से लंबित अनेक समस्याओं का निराकरण हुआ है एवं कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान किया जा रहा है। कर्मचारियो की सी.पी.एफ. की लगभग 70 लाख रूपये ई.पी. एफ. विभाग में जनवरी—2018 तक का जमा किया जा चुका है। श्री राजीव जैन, श्री आलोक खरे, श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं सभी के सहयोग से हम संस्था के उत्थान हेतु प्रयासरत है एंव हम स्काउटिंग के स्वर्णिम इतिहास रचने हेतु संकल्पित है।

जिला संघो की व्यवस्था सुधारना अपेक्षित है एंव इस दिशा में भी प्रयास करें । जनप्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त किया जावे। माननीय थावरचंद्र गेहलोत जी ने उज्जैन में भवन निर्माण हेतु सहयोग प्रदान किया इसी प्रकार सभी जिलों में हमारे पदाधिकारी आवश्यक सहयोग प्राप्त कर जिला संघों/प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन करें, मैं

Ar

भी सदैव सहयोग हेतु तत्पर हूँ। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में अच्छे सुझाव प्राप्त हुए है। हम सभी को संस्था के आजीवन सदस्यों की संख्या में वृद्धि करना है। सभी सदस्यों/पदाधिकारियों का परिचय पत्र भी बनाया जावे।

हमारी स्काउट गणवेश को अवश्य धारण करना चाहिए । सिंहस्थ–2016 में, मैं स्काउट गणवेश में सेवा में रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी एंव संत श्री अवधेशानंद जी ने भी स्काउट गणवेश में सक्रिय रहे सेवाभावी कार्यकताओं की भूरी–2 प्रशंसा की। दिनांक 09 अप्रैल 2018 को राज्यपाल रैली एंव अलंकरण समारोह में आप सभी स्काउट गणवेश में आमंत्रित है।

आप सभी का सहयोग इस समाजसेवी संस्था को सदैव अपेक्षित है। धन्यवाद, जयहिंद।

बिन्दु क्र. 13 धन्यवाद :– श्री आलोक खरे, राज्य सचिव ने उपस्थित पदाधिकारियों/ सदस्यों से संस्था को सहयोग देने की अपेक्षा की एवं "बालचर रवि" मासिक पत्रिका की सदस्यता वृद्धि करने, जिलों से पंजीयन की राशि भिजवाने में सहयोग करने, प्रशिक्षण केन्द्रों के उन्नयन में सहभागी बनने का अनुरोध किया । श्री खरे ने सभी राज्य कार्यकारिणी पदाधिकारियों, विशेष आंमत्रित अतिथियों, कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठक में सक्रिय रूप उपस्थित होने, गरिमामयी बैठक संचालन में सहयोग हेतु धन्यवाद प्रकट किया। सभी से इस संस्था में सहयोग का अनुरोध किया ।

(पारस चंद्र जैन)
मंत्री, ऊर्जा
म.प्र.शासन एवं
राज्य मुख्य आयुक्त
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश

(आलोक खरे)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड
मध्यप्रदेश